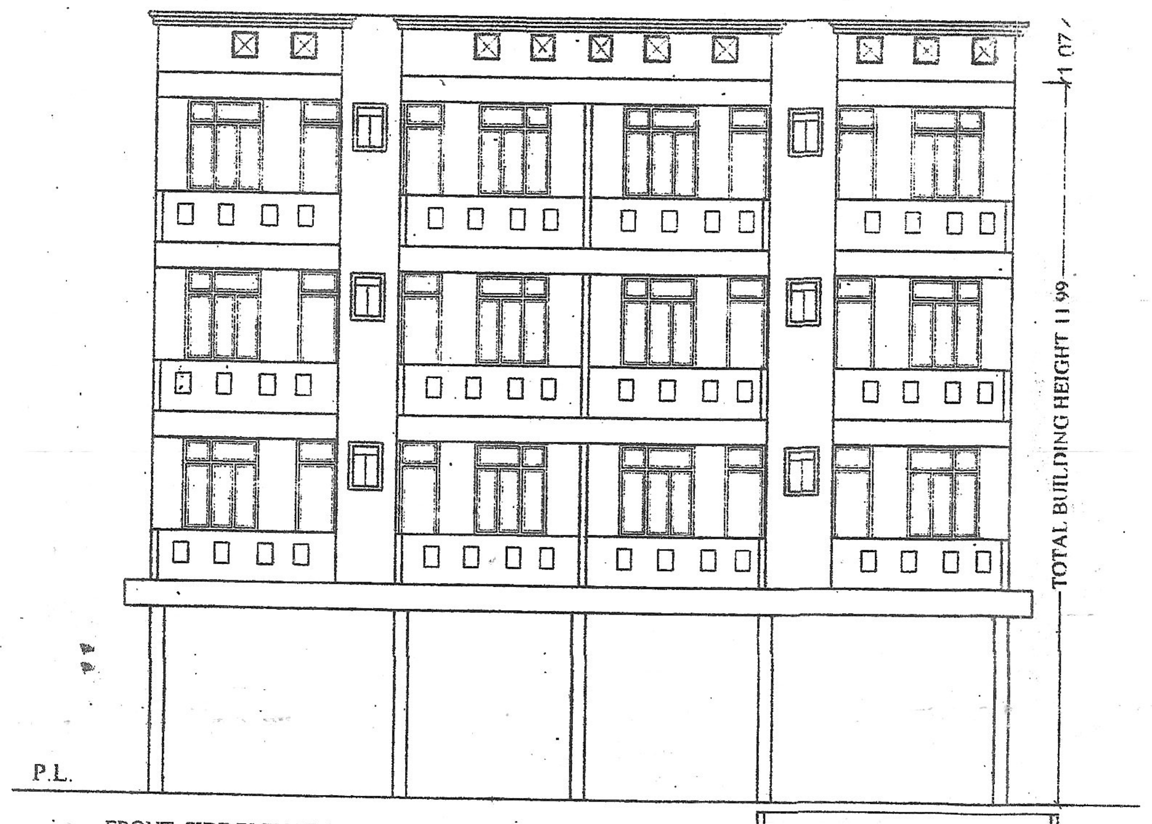

FRONT SIDE ELEVATION

WEST SIDE ELEVATION

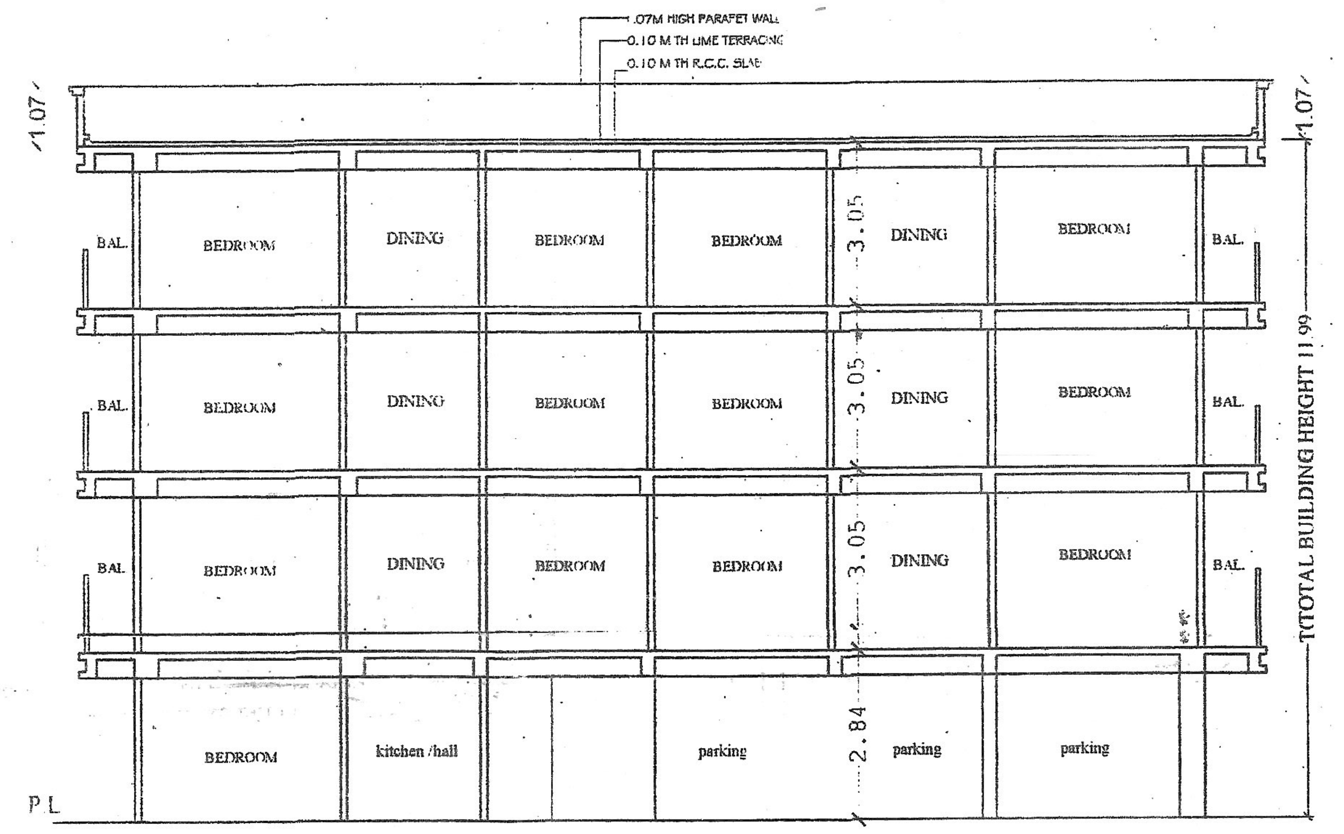

SECTION AT -YY

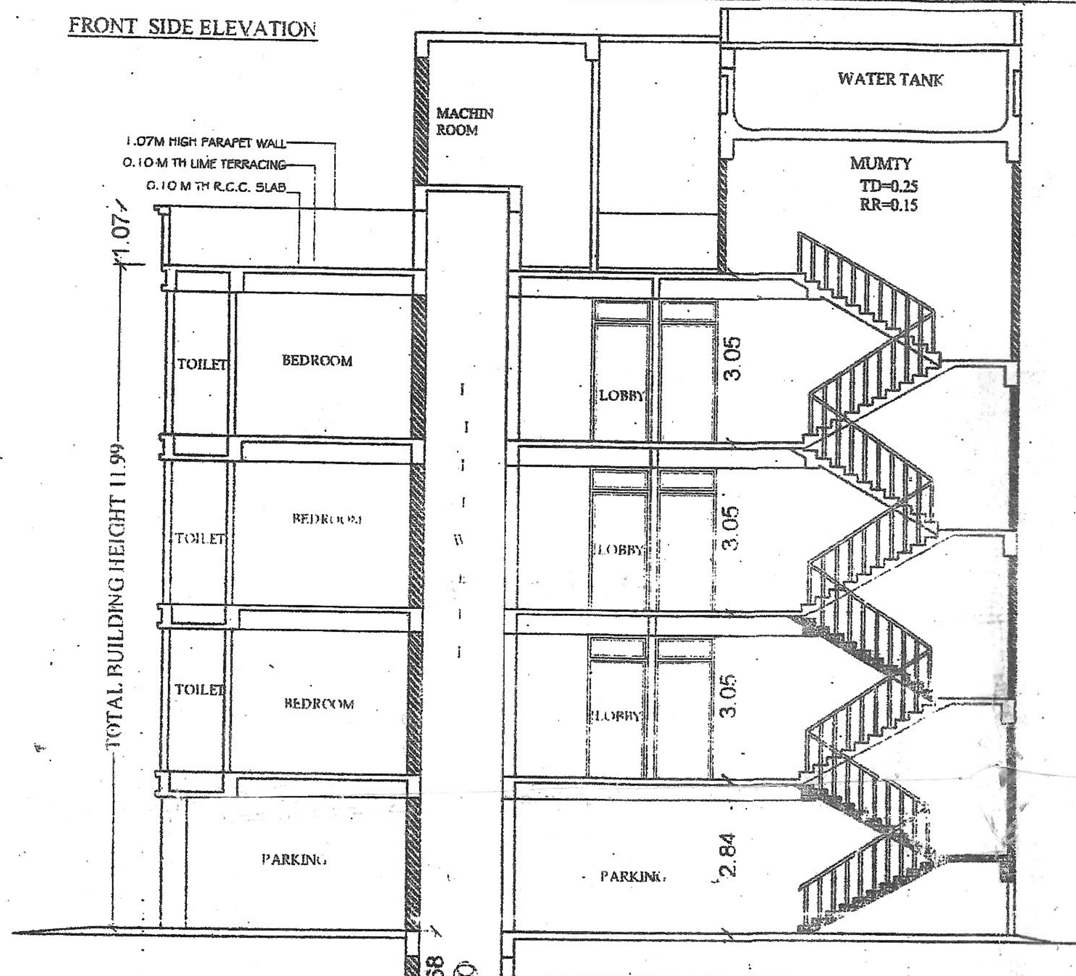

SECTION AT -X-X

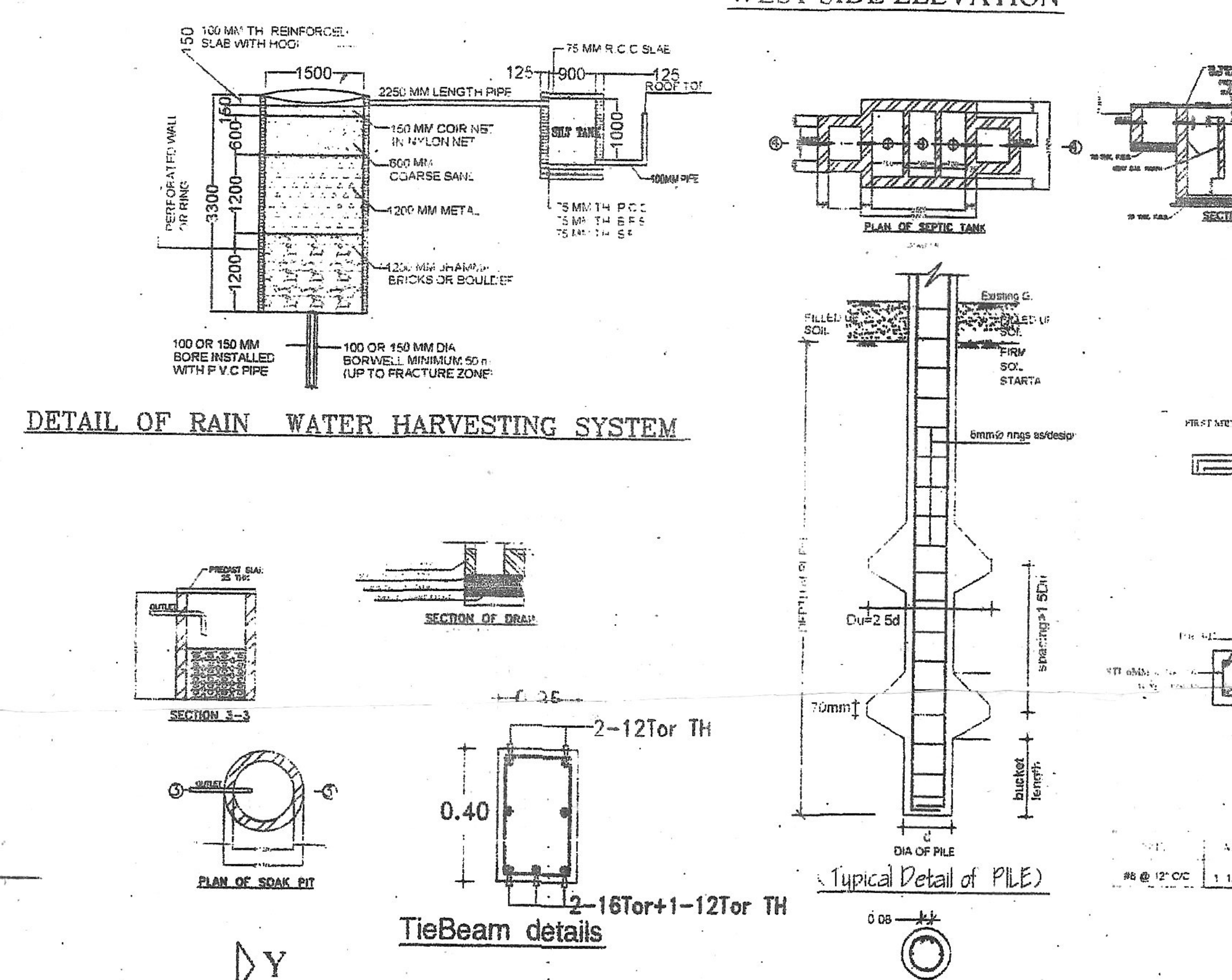

DETAIL OF RAIN WATER HARVESTING SYSTEM

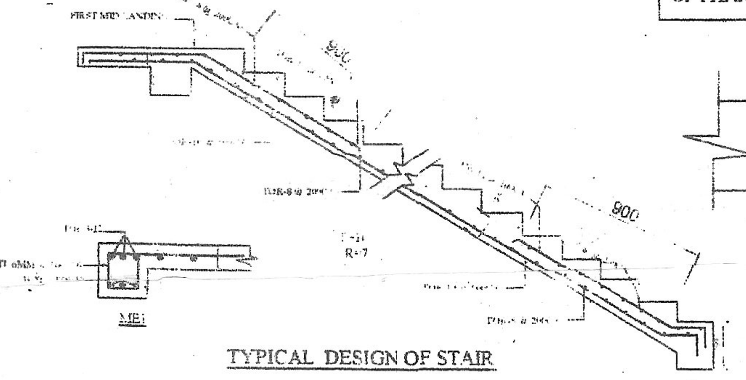

TYPICAL DESIGN OF STAIR

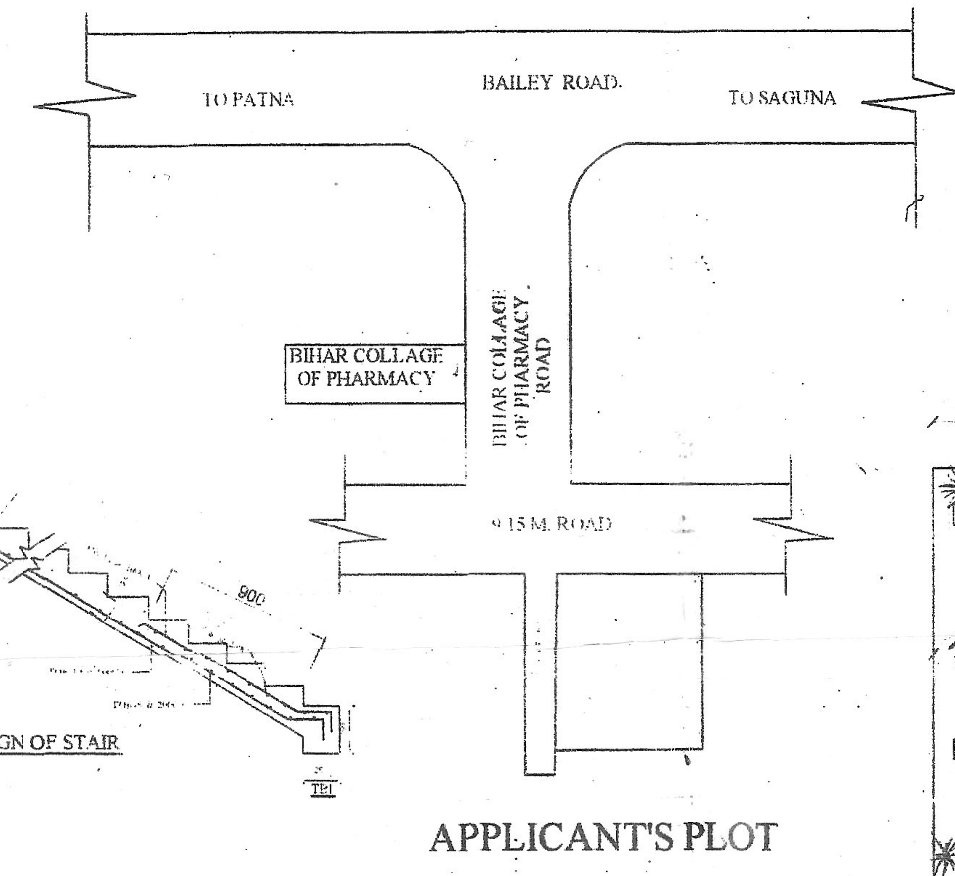

LOCATION PLAN

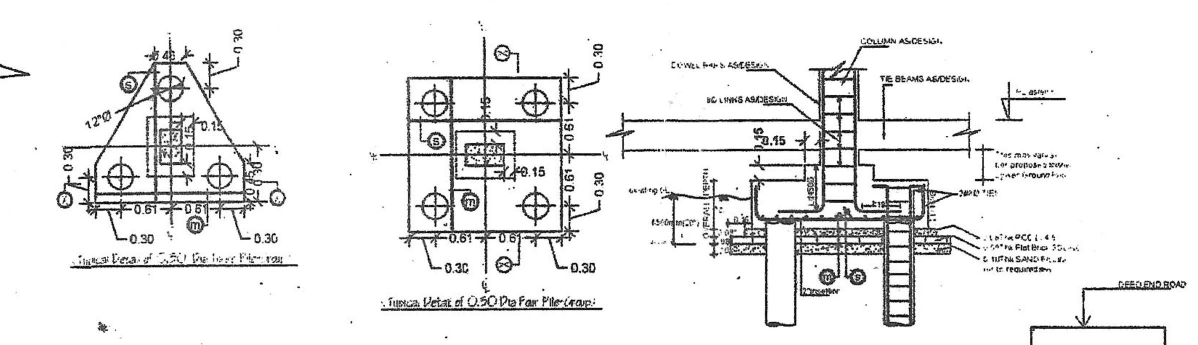

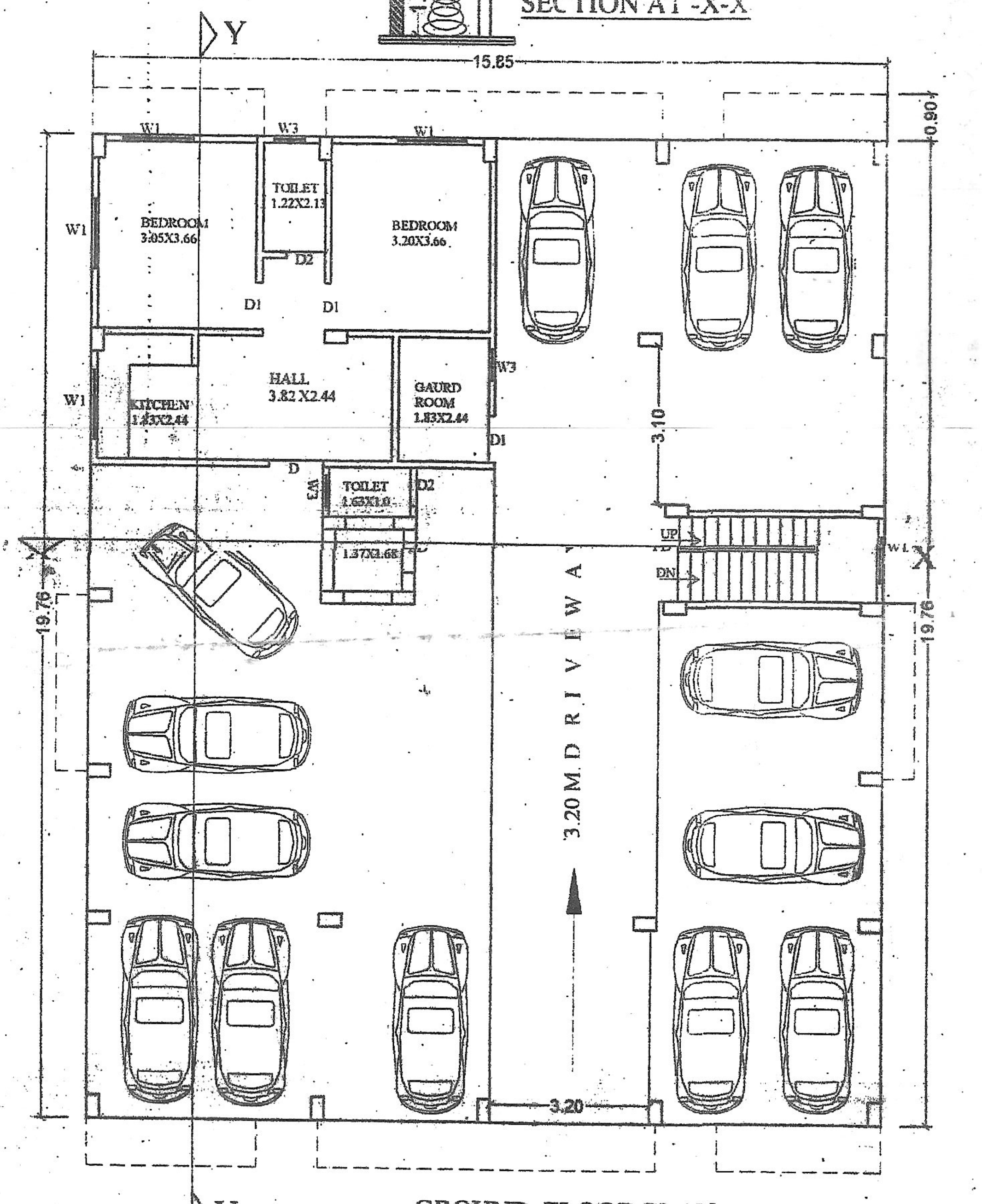

GROUND FLOOR PLAN

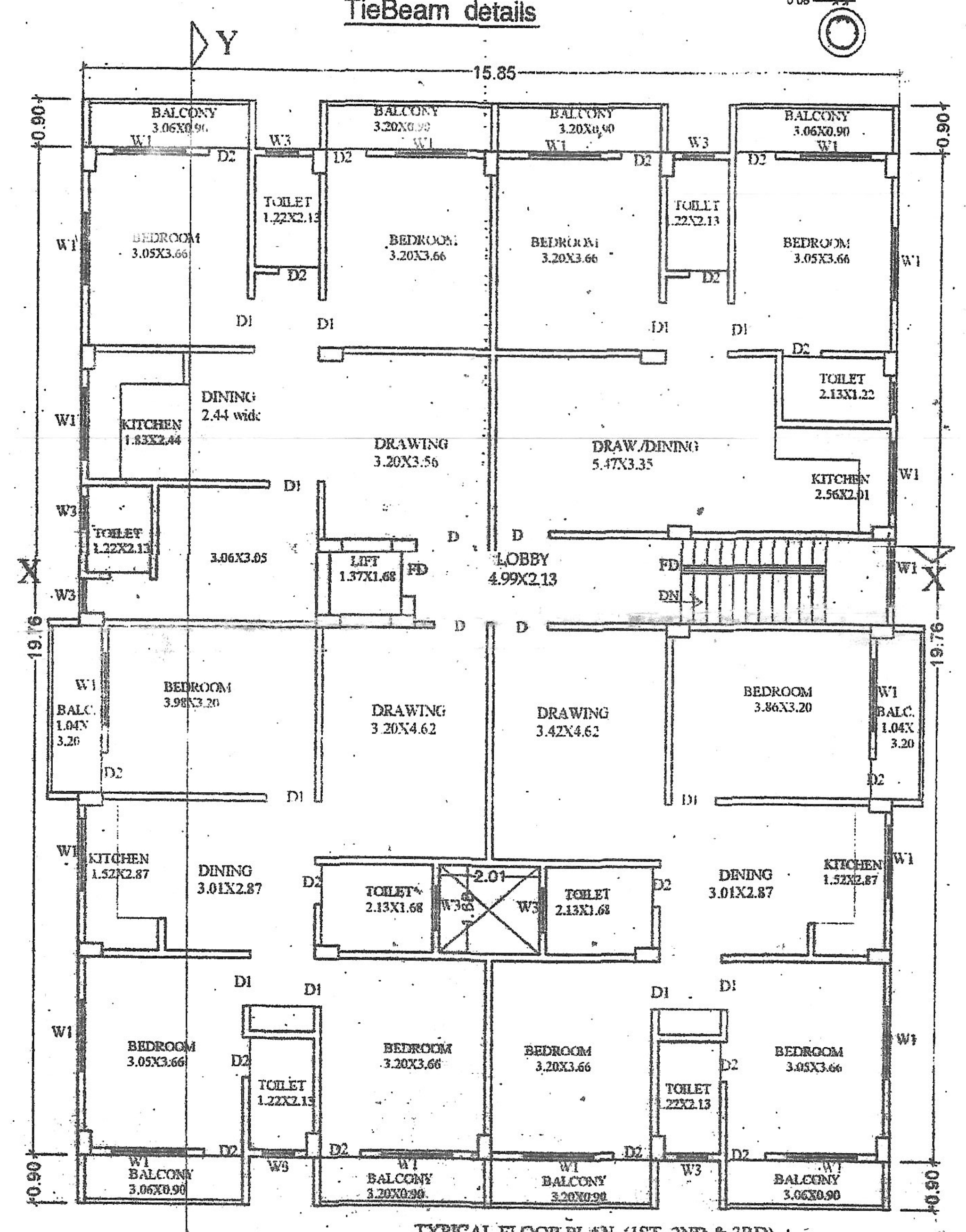

TYPICAL FLOOR PLAN (1ST, 2ND & 3RD)

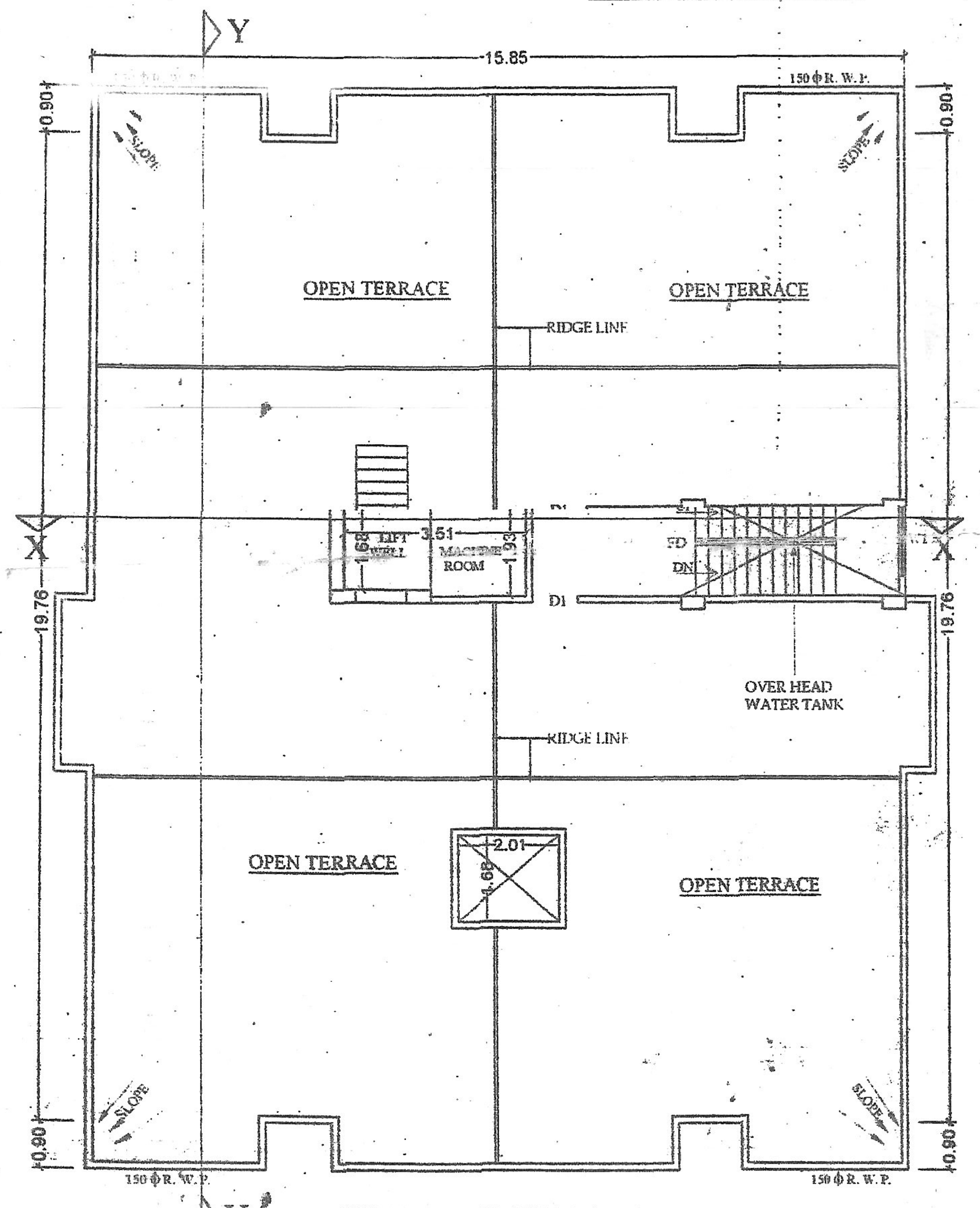

TERRACE FLOOR PLAN

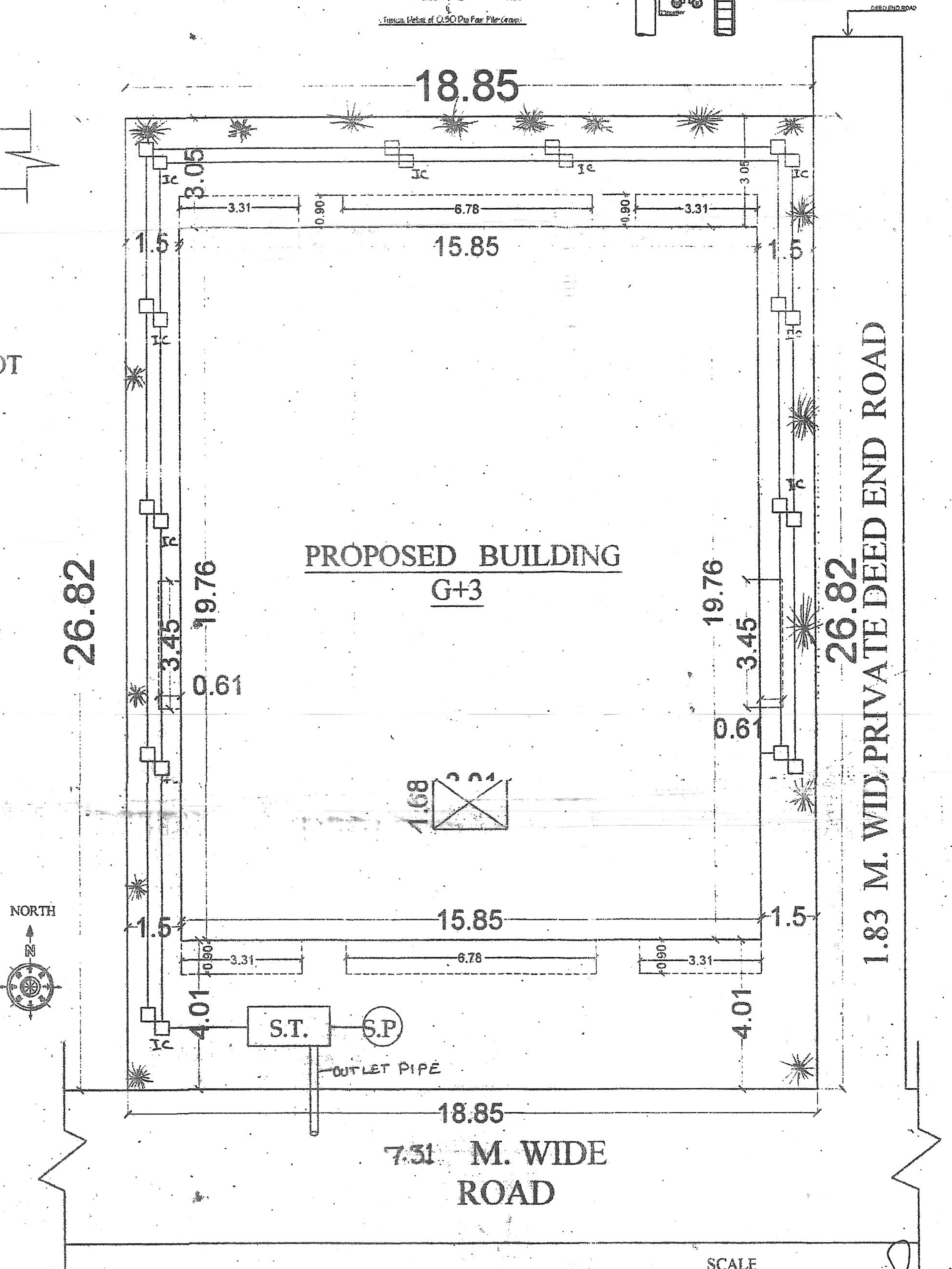

SITE PLAN

SCALE 1:100

PARKING CALCULATION

TOTAL NO. OF FLAT = 13
ONE FLAT REQU. ONE CAR PARKING.
TOTAL REQU. CAR PARKING =13 NOS
TOTAL BUILT UP AREA = 1012.76 SQM.
REQUIRED 25% OF PARKING AREA
= 253.19 SQM.

TOTAL PROVIDE PARKING AREA=256.22 SQM.

WATER TANK CALCULATION

TOTAL NO. OF FLAT = 13 NOS
ONE FLAT 6 PERSON
TOTAL NO OF PERSON =13 X 6 =78
ONE PERSON REQU. WATER = 135 LTR./DAY
TOTAL REQU. WATER =78 X 135 =10530 LTR./DAY
TOTAL REQU. AREA OF WATER TANK =10.53 QU.M
PROVIDE AREA OF WATER TANK
SIZE,=3.0X2.52X1.52 FB=11.49 QUM

SEPTIC TANK CALCULATION

TOTAL NO. OF FLAT = 13
ONE FLAT 6 PERSON
TOTAL NO OF PERSON = 13 X 6 =78.
ONE PERSON REQU. AREA = 0.085 QU.M./DAY
TOTAL REQU. AREA = 78 X 0.085 = 6.63 QU.M./DAY
TOTAL REQU. AREA = 78 X 0.085 = 6.63 QU.M./DAY
PROVIDE AREA OF SPTIC TANK
(SIZE).=3.0X2.0X1.52+ 30 FB
TOTAL AREA OF SPTIC TANK= 9.12 QUM

मैंने स्वयं स्थल निरीक्षण करके नक्शा तैयार किया है एवं भवन उपविधि-2014 के प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया गया है।
Manoj Kr

SPECIFICATION

1. R.C.C UNDER REMMED PILE FOUNDATION AS PER DETAIL GIVEN IN THIS DRAWING.
2. 1ST CLASS BRICK WORK IN CEMENT MORTER(1:6) IN SUPER STRUCTURE.
3. HEIGHT OF PLINTH FLOOR AREA SHOWN IN SECTION.
4. 0.03 I.P.S. FLOORING OVER 0.75 DRY REMMED KHOA OVER FLAT BRICK SOLING OVER LOCAL SAND FILLING.
5. 0.050 TH D.P.C. ON P.L. ALL ROUND THE BUILDING.
6. 0.110 TH LIME CONCRETE OVER 0.100TH R.C.C. SLAB.
7. 0.15TH R.C.C. BAND AT DOORS & WINDOWS OPENINGS.
8. 0.12 CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF WALL.
9. WHITE & COLOUR WASH AS PER CHOICE.

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

SL.NO.	TYPE	WIDTH	SILL.	HEIGHT
1.	D	1.06	0.00	2.13
2.	D1	0.91	0.00	2.13
3.	D2	0.76	0.00	2.13
4.	W1	1.37	0.76	1.53
4.	W1	1.37	0.76	1.53
5.	W2	0.90	0.90	1.53
6.	W3	0.60	1.53	1.22

AREA STATEMENT

TOTAL PLOT AREA AS PER DEED = 505 94 SQM
TOTAL PLOT AREA AS PER SITE = 505.55 SQM
TOTAL GROUND FLOOR B/U AREA = 63.32 SQM
TOTAL 1ST FLOOR B/U AREA = 316.48 SQM.
TOTAL 2ND FLOOR B/U AREA = 316.48 SQM.
TOTAL 3RD FLOOR B/U AREA = 316.48 SQM.

TOTAL BUILT UP AREA = 1012.76 SQM.
F.A.R. ACHIEVED = 2.00

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING FOR

M/S SUPRIYA DEVELOPERS PVT LTD.
Managing Director :- Sri Brajesh kumar,
S/o Raja Prasad Roy
AT. -SURVEY PLOT NO.-185, KHATA NO.- 29,
THANA NO.-20,TAUZI NO- 5139,
MAUZA - DHANAUT,
THANA.- DANAPUR .DIST.- PATNA.

NORTH

SCALE 1.100 1:200

Manoj Kumar (Architect) Danapur Regd. No. 10/Arch/2015/NPDN

SIGN. OF STRE. ENGG.

SUPRIYA DEVELOPERS PVT. LTD. Director

Er. Vijay Kumar Structure Engineer Lic-No-01/STRE/2015/NPDN

FOR DEVELOPER SIGNATURE BEHALF OF LAND OWNER'S SIGNATURE

SIGN. OF ARCH.

Building Plan No. 173/16-17
निम्नांकित शर्तों के साथ भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।
सरकारी या किसी दूसरे के जमीन का अतिक्रमण नहीं करना होगा, तथा पथ एवं सड़क के लिए बिहार भवन उपविधि 2014 के अनुसार अपेक्षित जमीन छोड़ना होगा। भवन भूकम्परोधी बनाना होगा तथा अपने भवन से सरकारी नाला तक जल निकासी हेतु अपने खर्च से नाली निर्माण करना होगा।
बरसाती पानी नाली के लिए भूतल पर व्यवस्था करना होगा। भवन, भू-खण्ड विवादित रहने की स्थिती में भवन मानचित्र स्वतः रद्द समझा जायेगा एवं उसपर खड़े किये गये बनावट अवैध माना जायेगा। भवन मानचित्र की स्वीकृति केवल तीन वर्ष के लिए मान्य होगी। भवन में रहने के पूर्व NOC प्राप्त करना होगा। तकनीकी पदा०/अभियंता की अनुशंसा के आधार पर पारित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, दानापुर निजामत

12/12/16
Nagar Parishad Danapur Nizamat

फारम–VII–क

कार्यलय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 279 तिथि- 19.11.2016 के संदर्भ में

मसर्स सुप्रिया डेभलपर्स प्रा0 लि0, मैनेजिंग डाईरेक्टर-श्री ब्रजेश कुमार, पिता-राजा प्रसाद राय, पता-बोरिंग रोड, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायीक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के .... **प्लौट नं0- 185, खाता नं0- 29, तौजी नं0-5139, थाना नं0- 20, मौजा- धनौत, पता-थाना-दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-173./16-17 है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल 1012.76 वर्ग मीटर** एवं **G+3** की स्वीकृति दी जाती है:-

(1) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(2) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **256.22 वर्ग मीटर** का पार्किंग एवं **ग्रीन एरिया 10%** का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(4) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 7.31 मी0 चौड़ाई के वर्तमान पहुंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(5) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(6) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधिन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ दानापुर नगर परिषद नगर निगम/नगर परिषद/पगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 0.0 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(19) वर्णित नक्शे में दिखलाये गये पार्किंग एरिया में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।

(20) महायोजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुसार ही निर्माण कार्य एवं भवन का उपयोग किया जायेगा।

(21) बाईलॉज के उप-विधि 2014 के अनुपालन में आप अपने प्रस्तावित भूखण्ड को 10% भाग में पेड लगाना सुनिश्चित करेगें।

(22) भवन निर्माण के दौरान भूकम्प रोधी तकनीक का प्रावधान करना होगा। बहुमंजिले भवनों के भूकम्प से बचाव हेतु किये जाने वाले उपायों की सूची को निर्माण स्थल पर अनिवार्य रूप से डिसप्ले किया जाय।

(23) पब्लिक विल्डिंग में अपंग व्यक्तियों (Person's with disabilities) के अवरोध रहित आवागमन का प्रावधान बाईलॉज के अनुरूप सुनिश्चित करना होगा।

(24) स्थल पर बनाये गये साईनबोर्ड पर प्राधिकार से पारित नक्शे की संख्या तथा पारित नक्शे कितने के लिए हैं का उल्लेख किया जाय।

(25) निर्माण स्थल पर प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नक्शे कि एंक प्रति अनिवार्य रूप से रखा जाय ताकि प्राधिकार के पदाधिकारी द्वारा स्थल निरिक्षण के समय उनके स्वीकृत नक्शा उपलब्ध हो सके।

(26) रोड चौड़ीकरण हेतु छोड़ी गयी पट्टी में कोई निर्माण कार्य नहीं करेगें एवं छोड़े गये भू-भाग को छोड़ कर चाहर दिवारी का निर्माण करेगें।

कनीय अभियंता 12/12/16	12/12/16 सहायक अभियंता	नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत	नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांक:- ...173.... /दिनांक:- ...30/12/2016

प्रतिलिपि:- मसर्स सुप्रिया डेभलपर्स प्रा0 लि0, मैनेजिंग डाईरेक्टर-श्री ब्रजेश कुमार, पिता-राजा प्रसाद राय, पता-बोरिंग रोड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत